

48-32
4/8

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. _____/of 2014

Nand Kishore Singh and others Petitioners

Versus

The State of Bihar and others Respondents

SYNOPSIS

RELIEFS SOUGHT FOR:

In the instant writ application, the petitioners have sought for the following reliefs:

- (i) For commanding the respondents to absorb the petitioners in the Collectorate cadre from the District Rural Development Authority (hereinafter referred to as 'DRDA', Madhepura with effect from their date of joining and further provide them all consequential benefits at par with the employees of the State Government.
- (ii) For holding that the impugned non-consideration of case of the petitioners for their absorption in the Collectorate cadre from DRDA is illegal, arbitrary and without any lawful justification.
- (iii) For grant of any such other relief or reliefs as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.

IMPORTANT FACTS OF THE CASE:

- Para-5 Presently the petitioners are holding the post of Clerk-cum-typist in the DRDA, Madhepura.
- Para-7 & 8 In the year 1986 a district level panel was prepared by the District Magistrate, Madhepura for appointment to class III and IV posts under the Collectorate and its attached offices and all the petitioners were included in the aforesaid district level panel prepared for appointment to class III and IV posts.
- 1986
Para-10 Thereafter the petitioners were recommended for appointment in DRDA, Madhepura. Subsequently they were appointed to class III post of Clerk-cum-typist by the order of the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, DRDA, Madhepura and accordingly the petitioner No. 1 joined his service on 31.10.1986 and petitioner Nos. 2 and 3 joined their services on 26.11.1986.
- 1999
Para-12 There were no rules and regulations for the employees of the DRDA and that was under the consideration before the State Government. Thereafter a writ application being C.W.J.C. No. 6543 of 1999 was filed before this Hon'ble Court by the DRDA Employees Association. The aforesaid writ application was disposed of with a direction to the State Government to take final decision in this regard within a period of nine months.
- 29.08.2003
Annexure-1
Page-31
Para-13 In compliance to the aforesaid order of the Hon'ble High Court, an order vide Memo No. 7139, dated 29.08.2003 was issued under the signature of Secretary, Rural Development Department,

that the employees working in DRDA shall be absorbed in different departments of the State Government.

- 09.03.2005
Annexure-2
Page-
Para-14
- A letter No. 896, dated 09.03.2005 was issued under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, by which all the District Magistrates and all the Deputy Development Commissioners were directed to send the vacancy position after absorbing the employees appointed under DRDA as per roster to class III post of Clerk-cum-typist in newly created Blocks.
- 24.03.2005
Annexure-3
Page-
Para-15
- Thereafter a list of directly recruited employees of the DRDA, Madhepura was submitted by the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, DRDA, Madhepura by his Memo No. 131, dated 24.03.2005 to the District Magistrate, Madhepura. The names of all the petitioners were included in the aforesaid list. It was also recommended in the aforesaid letter to absorb the directly recruited employees of DRDA in newly created Blocks in light of the Government direction issued earlier.
- 19.04.2005
Annexure-4
Page-
Para-16
- A letter No. 2057, dated 19.04.2005 was issued under the signature of the Joint Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna, by which all the District Magistrates and the Deputy Development Commissioners were directed to furnish the details of vacancies of Clerk-cum-typist as per roster by 30.04.2005.
- 01.06.2005
Annexure-5
Page-
Para-17
- A State level meeting of the Deputy Development Commissioners was held on 20.05.2005 and it was decided that the directly recruited employees of DRDA will be absorbed by the end of May, 2005.

the Department. Minutes of the meeting of the aforesaid State level meeting of Deputy Development Commissioners dated 20.05.2005 was circulated vide Memo No. 3080, dated 01.06.2005 issued under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna.

Para-19 & 20 Petitioners filed representations dated 08.02.2008 and 14.02.2008 before the District Magistrate, Madhepura requesting therein to consider their case for absorption in the Collectorate cadre and provide them all facilities at par with the employees of the State Government.

07.03.2008/
20.06.2008
Annex.-8 & 8/1
Page-
Para21

Petitioners have also filed a representation before the Hon'ble Lokayukta, Bihar, Patna for a direction to the State Government to consider their claim for absorption in the Collectorate cadre. Thereafter the office of the Lokayukta has communicated that steps have already been taken to consider their claim vide letter No. 2622, dated 07.03.2008 and letter No. 6485, dated 20.06.2008 issued under the signature of Deputy Secretary and Under Secretary respectively, office of the Lokayukta Bihar, Patna.

Annexure-9
series
Page-
Para-22

Petitioners also filed representation dated 22.05.2008 before the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, DRDA, Madhepura requesting therein to consider their case for their absorption in Collectorate cadre. They again filed a representations dated 01.08.2008 and 08.08.2008 before the District Magistrate, Madhepura and Deputy Development Commissioner, Madhepura and prayed for considering their case for their absorption in Collectorate cadre in light of the decision of the State Government.

- 03.11.2008 A letter No. 2518, dated 03.11.2008 was issued
Annexure-10 under the signature of Deputy Development
Page- Commissioner-cum-Chief Executive Officer,
Para-23 DRDA, Madhepura to the District Establishment
Deputy Collector, Madhepura with regard to
absorption of directly recruited employees of the
DRDA against the sanctioned posts in the
Collectorate and regional offices. By the aforesaid
letter it was requested to hold special meeting of
District Establishment Committee so that directly
recruited employees of the DRDA may be
absorbed in Collectorate cadre and the Hon'ble
High Court as well as the Department may be
informed accordingly.
- 30.01.2012 Petitioners again filed a representation dated
Annexure-11 30.01.2012 before the District Magistrate,
Page- Madhepura requesting therein to consider their
Para-24 case for absorption in Collectorate cadre from
DRDA and provide them all facilities at par with
the employees of the State Government.
- 02.02.2012 The then Hon'ble Minister, Rural Development
Annexure-12 Department, Government of India, Mr. Jairam
Page- Ramesh wrote a letter dated 2nd February, 2012 to
Para-25 the Hon'ble Chief Minister, Bihar as well as to the
Chief Secretary, Government of Bihar that on the
basis of the representation of all India DRDA
Welfare Association for considering their claim for
their absorption in the Government offices and
providing them all facilities at par with the
employees working in the State Government.
- 29.05.2012 Petitioner No. 1, Nand Kishore Singh again filed
Annexure-13 an application dated 29.05.2012 addressed to the
Page- Deputy Secretary to Hon'ble Lokayukta, Bihar,
Para-26 Patna praying therein to consider his case for
absorption in the Collectorate cadre in light of

01.07.2014 A resolution vide Memo No. 190282, dated
Annexure-14 01.07.2014 has been issued under the signature of
Page- the Secretary, Rural Development Department,
Para-28 Government of Bihar, by which the Extension
Officers (Industry and Commerce) and Ladies
Extension Officers of DRDA have been declared
the employees of the State Government with effect
from the date of their joining and further, their
services have been confirmed and action has been
taken for payment of their admissible benefits.

Para-29 and Submissions.
onwards.

* * *

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. _____/of 2014

Nand Kishore Singh and others Petitioners

Versus

The State of Bihar and others Respondents

SUB: ABSORPTION service, (state govt)
Nangazattea Post

I N D E X

Sl. No.	Annexure	Description	Page Nos.
1		Main contents of the writ application under Article 226 of the Constitution of India.	1 to 30
2	Annexure-1	Copy of the order issued vide Memo No. 7139, dated 29.08.2003 under the signature of Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna.	31-32
3	Annexure-2	Copy of the letter No. 896, dated 09.03.2005, issued under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna.	33 -

4	Annexure-3	Copy of the aforesaid Memo No. 131, dated 24.03.2005 issued under the signature of Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, DRDA, Madhepura.	34-35
5	Annexure-4	Copy of the letter No. 2057, dated 19.04.2005, issued under the signature of the Joint Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna.	36-
6	Annexure-5	Copy of the aforesaid Memo No. 3080, dated 01.06.2005 issued under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna along with the minutes of the meeting of the State level meeting of Deputy Development Commissioners dated 20.05.2005.	37-39
7	Annexure-6	Copy of the representation dated 08.02.2008 filed by the petitioners before the District Magistrate, Madhepura.	40-
8	Annexure-7	Copy of the representation dated 14.02.2008 filed by the petitioners before the District Magistrate, Madhepura.	41

9	Annexure-8 & 8/1	Copies of the letter No. 2622, dated 07.03.2008 and letter No. 6485, dated 20.06.2008 issued from the office of Lokayukta, Bihar, Patna under the signature of the Deputy Secretary and Under Secretary respectively.	42-43
10	Annexure-9, 9/1 & 9/2	Copies of the representations dated 22.05.2008, 01.08.2008 and 08.08.2008 filed by the petitioners.	44-46
11	Annexure-10	Copy of the letter No. 2518, dated 03.11.2008, issued under the signature of Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, DRDA, Madhepura.	47 -
12	Annexure-11	Copy of the aforesaid representation of the petitioners dated 30.01.2012 filed before the District Magistrate, Madhepura.	48 -
13	Annexure-12	Copy of the letter dated 2 nd February, 2012 of the then Hon'ble Minister, Rural Development Department, Government of India, Mr. Jairam Ramesh.	49-50
14	Annexure-13	Copy of the representation dated 29.05.2012 filed by petitioner No. 1, Nand Kishore Singh before the Deputy Secretary to Hon'ble Lokayukta Bihar Patna	51 -

15	Annexure-14	Copy of the Resolution No. 190282, dated 01.07.2014, issued under the signature of the Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna.	52-
16		Vakalatnama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. _____/of 2014

In the matter of an application
under Article 226 of the
Constitution of India.

A N D

In the matter of:

1. Nand Kishore Singh, son of late Mahendra Narayan Singh, resident of Village & P.O.-Sahpur, P.S.-Gwalpara, District-Madhepura.
2. Rajendra Paswan son of late Prem Paswan, resident of Ward No. 6, Madhepura, P.S.-Madhepura, District-Madhepura.

3. Umesh Kumar son of Sri Mahabir Prasad Mandal, resident of Ward No. 14, Madhepura, P.S.-Madhepura, District-Madhepura.

... .. Petitioners

Versus

1. The State of Bihar.
2. Principal Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna.
3. Joint Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna.
4. District Magistrate, Madhepura.
5. District Rural Development Agency, Madhepura through its Chief Executive Officer-cum-Deputy Development Commissioner, Madhepura, District-Madhepura.
6. Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, District Rural Development Agency, Madhepura, District-Madhepura.

7. Director, District Rural Development Agency, Madhepura, District-Madhepura.
8. Deputy Collector, Establishment, Madhepura, District-Madhepura.

... .. Respondents

To

Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition filed on behalf of the above named petitioners.

Most respectfully sheweth:-

1. That this writ application is being filed for commanding the respondents to absorb the petitioners in the Collectorate cadre from the District Rural Development Agency (hereinafter referred to as 'DRDA'), Madhepura with effect

from their date of joining and further provide them all consequential benefits at par with the employees of the State Government.

This writ application is also being filed for holding that the impugned non-consideration of case of the petitioners for their absorption in the Collectorate cadre from DRDA is illegal, arbitrary and without any lawful justification.

2. That in the instant writ application, the petitioners have prayed for the following reliefs:

- (i) For commanding the respondents to absorb the petitioners in the Collectorate cadre from the DRDA, Madhepura with effect from their date of joining and further provide them all consequential benefits at par with the employees of the State Government.

- (ii) For holding that the impugned non-consideration of case of the petitioners for their absorption in the Collectorate cadre from DRDA is illegal, arbitrary and without any lawful justification.
 - (iii) For grant of any such other relief or reliefs as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.
3. That the following substantial questions of law are involved in this writ application for adjudication by this Hon'ble Court.
- (i) Whether, the impugned non-consideration of claim of the petitioners for their absorption in the Collectorate cadre is just and proper?
 - (ii) Whether, the impugned non-consideration of claim of the petitioners for their absorption in the

Collectorate cadre is based on wrong assumption of facts, extraneous and irrelevant consideration?

(iii) Whether, the impugned non-consideration of claim of the petitioners for their absorption in the Collectorate cadre is violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India?

(iv) Whether, the respondent authorities have acted in light of the direction of the State Government issued vide Memo No. 3080, dated 01.06,2005 under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar (Annexure-5) or otherwise in the matter of absorption of the petitioners for their absorption from DRDA to Collectorate cadre?

4. That the petitioners are citizens of India and are residing well within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

5. That at present the petitioners are holding the post of Clerk-cum-typist in the DRDA, Madhepura.
6. That it is relevant to mention that the DRDA is State within the meaning of Article 12 of the Constitution of India.
7. That it is stated that in the year 1986 a district level panel was prepared by the District Magistrate, Madhepura for appointment to class III and IV posts under the Collectorate and its attached offices.
8. That all the petitioners were included in the aforesaid district level panel prepared for appointment to class III and IV posts.
9. That thereafter the petitioners were recommended for appointment in DRDA, Madhepura. Subsequently they were appointed to class III post of Clerk-cum-typist by the order of the Deputy Development Commissioner-cum-Chief

Executive Officer, DRDA, Madhepura and accordingly the petitioner No. 1 joined his service on 31.10.1986 and petitioner Nos. 2 and 3 joined their services on 26.11.1986.

10. That since the date of their joining, the petitioners have been discharging their duties efficiently, diligently and to the full satisfaction of their superior authorities without any break or interruption in the DRDA, Madhepura.
11. That the petitioners have absolutely clean service record. No adverse entry has ever been recorded in their character roll during their entire service period.
12. That it is relevant to mention that there were no rules and regulations for the employees of the DRDA and that was under the consideration before the State Government. Thereafter a writ application being C.W.J.C. No. 6543 of 1999 was filed before this Hon'ble Court by the DRDA Employees Association. The aforesaid writ application was

disposed of with a direction to the State Government to take final decision in this regard within a period of nine months. The operative part of the order passed by this Hon'ble Court in the aforesaid writ application is quoted hereinbelow.

"A supplementary counter affidavit has been filed today on behalf of the State, in which it has been stated that scale of aforesaid two types of officers in the Agency has been already revised and a notification to this effect has been issued.

"So far service conditions are concerned, it has been stated that the State Government has set up a committee to enquire into the matter and submit recommendation to the State Government in relation to the same and upon receipt of recommendation of the Committee, the State Government shall take final decision in the matter. The State Government is directed to take final decision in this regard within a period of nine months from today. With the aforesaid direction, the writ application is disposed of."

13. That thereafter in compliance to the aforesaid order of the Hon'ble High Court, an order vide Memo No. 7139, dated

29.08.2003 was issued under the signature of Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, by which it has been decided that the employees working in DRDA shall be absorbed in different departments of the State Government.

A copy of the aforesaid order issued vide Memo No. 7139, dated 29.08.2003 under the signature of Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna is annexed herewith and marked as Annexure-1 to this writ application.

14. That it is stated that a letter No. 896, dated 09.03.2005 was issued under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, by which all the District Magistrates and all the Deputy

Development Commissioners were directed to send the vacancy position after absorbing the employees appointed under DRDA as per roster to class III post of Clerk-cum-typist in newly created Blocks.

A copy of the letter No. 896, dated 09.03.2005, issued under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this writ application.

15. That thereafter a list of directly recruited employees of the DRDA, Madhepura was submitted by the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, DRDA, Madhepura by his Memo No. 131, dated 24.03.2005

to the District Magistrate, Madhepura. The names of all the petitioners were included in the aforesaid list. It was also recommended in the aforesaid letter to absorb the directly recruited employees of DRDA in newly created Blocks in light of the Government direction issued earlier.

A copy of the aforesaid Memo No. 131, dated 24.03.2005 issued under the signature of Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, DRDA, Madhepura is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this writ application.

16. That a letter No. 2057, dated 19.04.2005 was issued under the signature of the Joint Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna, by which all the

District Magistrates and the Deputy Development Commissioners were directed to furnish the details of vacancies of Clerk-cum-typist as per roster by 30.04.2005.

A copy of the letter No. 2057, dated 19.04.2005, issued under the signature of the Joint Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this writ application.

17. That it is stated that a State level meeting of the Deputy Development Commissioners was held on 20.05.2005 and it was decided that the directly recruited employees of DRDA will be absorbed by the end of May, 2005 and thereafter the same shall be communicated to the Department. Minutes of the meeting of the aforesaid State level meeting of Deputy

Development Commissioners dated 20.05.2005 was circulated vide Memo No. 3080, dated 01.06.2005 issued under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna.

A copy of the aforesaid Memo No. 3080, dated 01.06.2005 issued under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, Patna ~~along with the minutes of the meeting of the State level meeting of Deputy Development Commissioners dated~~ 20.05.2005 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this writ application.

18. That on enquiry from the office of the Rural Development Department, Government of Bihar, the petitioners have learnt that time to time the matter was considered by the State level committee of Deputy Development Commissioners and it was recommended to absorb all the employees working in the DRDA against the vacant posts in different Departments of the State Government, but unfortunately the petitioners have not been absorbed against the vacant posts in the State Government as yet.

19. That the petitioners filed a representation dated 08.02.2008 before the District Magistrate, Madhepura requesting therein to consider their case for absorption in the Collectorate cadre and provide them all facilities at par with the employees of the State Government.

A copy of the aforesaid representation dated 08.02.2008 filed by the petitioners before the District Magistrate, Madhepura

is annexed herewith and marked as Annexure-6 to this writ application.

20. That the petitioners again filed a representation dated 14.02.2008 before the District Magistrate, Madhepura reiterating their their grievance as mentioned in the representation dated 08.02.2008 (Annexure-6) and requested for redressal of their grievances.

A copy of the aforesaid representation dated 14.02.2008 filed by the petitioners before the District Magistrate, Madhepura is annexed herewith and marked as Annexure-7 to this writ application.

21. That it is stated that the petitioners have also filed a representation before the Hon'ble Lokayukta, Bihar, Patna for a direction to the State Government to consider their claim for absorption in the Collectorate cadre. Thereafter the office of the Lokayukta has communicated that steps have already been taken to consider their claim vide letter No. 2622, dated 07.03.2008 and letter No. 6485, dated 20.06.2008 issued under the signature of Deputy Secretary and Under Secretary respectively, office of the Lokayukta Bihar, Patna.

Copies of the aforesaid letter No. 2622, dated 07.03.2008 and letter No. 6485, dated 20.06.2008 issued from the office of Lokayukta, Bihar, Patna under the signature of the Deputy Secretary and Under Secretary respectively are being annexed herewith and marked as

Annexure- 8 & 8/1 respectively
to this writ application.

22. That petitioners also filed representation dated 22.05.2008 before the Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, DRDA, Madhepura requesting therein to consider their case for their absorption in Collectorate cadre. They again filed a representations dated 01.08.2008 and 08.08.2008 before the District Magistrate, Madhepura and Deputy Development Commissioner, Madhepura and prayed for considering their case for their absorption in Collectorate cadre in light of the decision of the State Government.

Copies of the aforesaid
representations dated
22.05.2008, 01.08.2008 and
08.08.2008 are annexed herewith
and marked as Annexure-9, 9/1

& 9/2 respectively to this writ application.

23. That on enquiry from the office of the DRDA, Madhepura the petitioners have learnt that a letter No. 2518, dated 03.11.2008 was issued under the signature of Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, DRDA, Madhepura to the District Establishment Deputy Collector, Madhepura with regard to absorption of directly recruited employees of the DRDA against the sanctioned posts in the Collectorate and regional offices. By the aforesaid letter it was requested to hold special meeting of District Establishment Committee so that directly recruited employees of the DRDA may be absorbed in Collectorate cadre and the Hon'ble High Court as well as the Department may be informed accordingly.

A copy of the letter No. 2518, dated 03.11.2008, issued under

the signature of Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, DRDA, Madhepura is annexed herewith and marked as Annexure-10 to this writ application.

24. That thereafter the petitioners again filed a representation dated 30.01.2012 before the District Magistrate, Madhepura requesting therein to consider their case for absorption in Collectorate cadre from DRDA and provide them all facilities at par with the employees of the State Government.

A copy of the aforesaid representation of the petitioners dated 30.01.2012 filed before the District Magistrate, Madhepura is annexed herewith and marked

as Annexure-11 to this writ application.

25. That the petitioners have learnt that the then Hon'ble Minister, Rural Development Department, Government of India, Mr. Jairam Ramesh wrote a letter dated 2nd February, 2012 to the Hon'ble Chief Minister, Bihar as well as to the Chief Secretary, Government of Bihar that on the basis of the representation of all India DRDA Welfare Association for considering their claim for their absorption in the Government offices and providing them all facilities at par with the employees working in the State Government.

A copy of the aforesaid letter dated 2nd February, 2012 of the then Hon'ble Minister, Rural Development Department, Government of India, Mr. Jairam Ramesh is annexed herewith and

marked as **Annexure-12** to this writ application.

26. That the petitioner No. 1, Nand Kishore Singh again filed an application dated 29.05.2012 addressed to the Deputy Secretary to Hon'ble Lokayukta, Bihar, Patna praying therein to consider his case for absorption in the Collectorate cadre in light of several directions of the State Government. The aforesaid representation is pending before the authority concerned.

A copy of the aforesaid representation dated 29.05.2012 filed by petitioner No. 1, Nand Kishore Singh before the Deputy Secretary to Hon'ble Lokayukta, Bihar, Patna is annexed herewith and marked as **Annexure-13** to this writ application.

27. That the aforesaid representations filed by the petitioners are still lying pending before the authorities concerned and have not yet been disposed of.
28. That on enquiry from the office of the Rural Development Department, Government of Bihar, Patna, the petitioners have learnt that a resolution vide Memo No. 190282, dated 01.07.2014 has been issued under the signature of the Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar, by which the Extension Officers (Industry and Commerce) and Ladies Extension Officers of DRDA have been declared the employees of the State Government with effect from the date of their joining and further, their services have been confirmed and action has been taken for payment of their admissible benefits.

A copy of the Resolution No. 190282, dated 01.07.2014, issued under the signature of the

Secretary, Rural Development
Department, Government of
Bihar, Patna is annexed herewith
and marked as **Annexure-14** to
this writ application.

29. That it is relevant to point out that the DRDA is an agency sponsored by Government of India. 75% amount of expenditure over establishment of DRDA is borne by the Government of India and remaining 25% amount is borne by the Government of Bihar.
30. That under the facts and circumstances as stated above, it is crystal clear that the respondent authorities did not consider even the direction of the State Government, Department of Rural Development regarding absorption of the petitioners, who are employees of DRDA and the petitioners are moving pillar to post for redressal of their grievances.

31. That the petitioners have been subjected to hostile discrimination in violation of Articles 14 and 16 of the Constitution of India inasmuch as similarly situated persons like the petitioners have already been declared as employees of the State Government, whereas the claim of the petitioners has not yet been considered.

32. That the respondent authorities have adopted pick and choose method in the matter of absorption of employees of DRDA in Government Departments.

33. That non-consideration of the claim of the petitioners for their absorption in Collectorate cadre from the date of their joining in light of the direction of the State Government issued vide Memo No. 3080, dated 01.06,2005 under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar (Annexure-5) is illegal, unjust and without any lawful justification.

34. That non-consideration of the claim of the petitioners for their absorption in Collectorate cadre from the date of their joining in light of the direction of the State Government issued vide Memo No. 3080, dated 01.06,2005 under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar (Annexure-5) is arbitrary, capricious and unreasonable.
35. That non-consideration of the claim of the petitioners for their absorption in Collectorate cadre from the date of their joining in light of the direction of the State Government issued vide Memo No. 3080, dated 01.06,2005 under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar (Annexure-5) is based on wrong assumption of facts, extraneous and irrelevant consideration.
36. That non-consideration of the claim of the petitioners for their absorption in Collectorate cadre from the date of their

joining in light of the direction of the State Government issued vide Memo No. 3080, dated 01.06,2005 under the signature of Commissioner and Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar (Annexure-5) is direct outcome of fraud on power and colourable exercise of power.

37. That the petitioners have already suffered a lot and they will further suffer irreparable loss and injury if their services are not absorbed in the Collectorate and provided all facilities at par with the employees of the State Government.
38. That it is just and expedient in the interest of justice, fair play in action and equity that this Hon'ble Court may intervene in the matter and command the respondents to absorb the petitioners in the Collectorate cadre from the DRDA Madhepura with effect from their date of joining and further provide them all consequential benefits at par with the employees of the State Government.

39. That the petitioners have already filed representations before the respondent authorities for the redressal of their grievances, but nothing has been done so far and at this stage they have been left with no other alternative and efficacious remedy than to knock the door of this Hon'ble Court by way of filing the instant writ application for the redressal of their grievances.
40. That the petitioners have not earlier moved this Hon'ble Court for the reliefs sought for in this writ application.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this writ application, issue rule calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs sought for in this writ application may not be granted and after

hearing the party/parties, allow all such reliefs as claimed by the petitioners in paragraph No. 2 of this writ application and/or pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioners shall ever pray.

A F F I D A V I T

I, Nand Kishore Singh, aged about 51½ years, son of late Mahendra Narayan Singh, resident of Village & P.O.-Sahpur, P.S.-Gwalpara, District-Madhepura do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am petitioner No. 1 in this case and as such well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That I have read and understood the contents of this writ application and the statements made in paragraph Nos. 4 to 11, 19 to 22, 24, 26, 27, 29, 30, 39 and 40...- are true to my knowledge, those made in paragraph Nos. 12 to 18, 23, 25, 28 are based upon the information derived from the sources, disclosed therein, which I believe to be true and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
3. That the annexure are true/photo copies of their respective originals.

नन्द किशोर सिंह

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

सी०डबल्यू०जे०सी० सी०-६५४३/९९ एवं तत्जनित एम०जे०सी० सी०-२९४/२००० दीपक कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु एक विभागीय समिति का गठन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सुसंगत अंश निम्नांकित है -

"A supplementary counter affidavit has been filed today on behalf of State in which it has been stated that scale of pay of the aforesaid two types of officers in the Agency has been already revised and a notification to this effect has been issued.

So far service conditions are concerned, it has been stated that the State Government has get up a committee to enquire in to the matter and submit recommendation to the State Government in relation to the same and upon receipt of recommendation of the Committee, the State Government shall take final decision in the matter. The State Government is directed to take final decision in this regard within a period of 9 months from today.

With the aforesaid direction, the writ application is disposed of".

संबंधित सरकारी नियमों एवं समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं, संकल्पों एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन डी०आर०डी०ए० मार्ग-दर्शिका के गहन अध्ययन एवं समीक्षा के उपरान्त समिति द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अभिलेखीय आधार पर कहा गया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ही की गयी थी और इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर विभिन्न पद सृजित किये गये थे। नयी मार्गदर्शिका के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अन्तर्गत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का व्यवस्थापन अब नये स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार होगा जिसमें प्रावधान किया गया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अन्तर्गत कोई सीधी नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा जो पदाधिकारी/कर्मचारी पूर्व से अभिकरण में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा जमाने वाले पांच वर्षों के अन्दर विभिन्न विभागों में सम्भाला जायेगा। समायोजन के प्रयत्न उनसे प्रतिनियुक्तके आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्य लिया जायेगा। समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गयी है कि प्रखण्ड स्तर पर सृजित पदों को डी०आर०डी०ए० की नयी स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत सृजित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गयी अनुरासाओं एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नयी डी०आर०डी०ए० मार्गदर्शिका में किये गये प्रावधान, जो सभी राज्यों में समान रूप से लागू है, के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रखंड स्तर पर सृजित पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन योजना के अन्तर्गत नये स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार सृजित पदों के विरुद्ध समायोजन की कार्रवाई की जायेगी। तत्पश्चात् इन सभी कर्मियों, जिनमें सांख्यिकी अन्वेषक भी शामिल हैं, को कार्मिक एवं प्रशासनिक संधार विभाग - बिहार, पटना के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति पर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित किये जाने की कार्रवाई की जायेगी। भारत सरकार के द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शिका में दी गयी समय-सीमा, जो सभी राज्यों के लिये है, 2004 तक की समय-सीमा तय है। अब इस बदली हुई परिस्थिति में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये अलग से कोई सेवा शर्त नियमावली बनाये जाने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि ये पदाधिकारी /कर्मचारी समायोजन के फलस्वरूप जिस विभाग में जायेगे, उसी विभाग की सेवा शर्त उनके लिये लागू होगी।

गोरे लाल यादव
सरकार के सचिव
29.8.03

नापांक-ग्रा०वि०-3-जि०ग्रा०वि०अभि०-1553/96 खंड-1- 7139

/पटना, दिनांक- 29.8.03

प्रतिलिपि - सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

2- सरकारी अधिवक्ता सं०-2, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

गोरे लाल यादव
सरकार के सचिव
29.8.03

Annexure-2

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक सं०- 2स्था.-4-02/05

दिनांक- 9.3.2005

प्रेषक -

श्री पी०एन० नारायणन
आयुक्त एवं सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी उप विकास आयुक्त

विषय:- नवसृजित प्रखंडों में तृतीय वर्ग के सृजित लिपिक-सह-टंकक के रिक्त पदों पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (प्रशासन) में पूर्व से नियुक्त कर्मियों एवं जन शिक्षा निदेशालय (मानव संसाधन विकास विभाग) के छँटनीग्रस्त कर्मियों को समायोजित करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि दिनांक 07.04.1999 से लागू ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की नई मार्गदिशिका के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में पूर्व से नियुक्त कर्मियों को विभिन्न विभागों में समायोजित करने का मामला विचाराधीन है ।

इसी प्रकार उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में जनशिक्षा निदेशालय (मानव संसाधन विकास विभाग) के छँटनीग्रस्त कर्मियों को समायोजित करने की कार्रवाई की जानी है ।

अतः अनुरोध है कि नवसृजित प्रखंडों के लिए सृजित तृतीय वर्ग के लिपिक-सह-टंकक के रिक्त पदों के संबंध में रोस्टर के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) में नियुक्त कर्मियों को समायोजित करने के पश्चात् रिक्त पदों की सूचना अभिलम्ब भेजने की कृपा की जाय ताकि जनशिक्षा निदेशालय के छँटनीग्रस्त कर्मियों समायोजित करने की दिशामें आवश्यक कार्रवाई की जा सके ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दिया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(पी. एन. नारायणन,
आयुक्त एवं

दिनांक 7.3.05

एनैक्ट्वर -3

पत्रांक 131 जि०ग्रा०वि० वि० अ० मधेपुरा

प्रेषक-

उपविकास आयुक्त
सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
मधेपुरा

सेवा में

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा ।

मधेपुरा दिनांक 24 वॉ मार्च 2005 ई०

विषय-..... में वृत्तिवर्ष के सृजित लिपिक सह टंकक के रिक्त पदों पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) मधेपुरा में पूर्व में नियुक्त कर्मियों को अभियोजित करने के संबंध में ।

प्रसंग- विभागीय पत्र सं०- 7139 दिनांक 29.8.2005 एवं 976 दिपनासंक 9.3.2003 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र को छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि बिना ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा में सीधे नियुक्त कर्मचारियों का विवरण (पूर्व विवरण सहित) संलग्न किया जाता है ।

उपर्युक्त विवरणी में अंकित कर्मचारियों को जिले में नवसृजित प्रखण्डों में रिक्त पदों के संवर्ग में रोस्टर के अनुसार न्यायोचित करने के पश्चात् रिक्त पदों को सूचना विभाग को भेजा जाना है ।

अतः अनुरोध है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा में पूर्व से सौंये नियुक्त कर्मियों को विभागीय पत्र के अनुपालन में जिले में नवसृजित प्रखण्डों में समयोजन करने का अनुमति प्रदान किया जाता है ।

अनु० / यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/-

उपविकास आयुक्त

सह

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

मधेपुरा

ज्ञापांक 131 / जि०ग्रा०वि० वि० अ० मधेपुरा दिनांक 24 वी० मार्च 2005 ई

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को उनके पत्रांक 896 दिनांक 9.3.2005 के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

उपविकास आयुक्त

सह

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

मधेपुरा

दिनांक 24.3.2005

35

एनैक्टर -7

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सीधे नियुक्त कर्मचारियों का विवरण

क्रम सं०	कर्मचारियों का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	उत्प्रेषण की तिथि	जन्म तिथि	पेंशन/प्राप्ति	लेटा परिसर उतीर्ण	टिप्पण परीक्षा उतीर्ण	टकक परीक्षा उतीर्ण	अवकाश का वर्ग	आयु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री नरेन्द्र प्र० वर्मा	आशु लिपिक	8.10.1986	8.10.1986	3.9.57	4000-100-1985-6000 (द्वितीय वर्ष)	5.7.1987	-		अनारक्षित	
2	नन्दकिशोर सिंह	नि०सह टकक	31.10.1986	31.10.1986	5.1.1963	1992 में (दोनो सत्र में)	1988	1988	6.12.88		
3	राजेन्द्र पासवान		26.11.1986	26.11.1986	6.3.1966	तदैव	1990(प्रथम पत्र) 1992 (द्वितीय पत्र)	23.2.89	12.2.89		
4	उमेशकुमार		26.11.1986	26.11.1986	15.8.1965	तदैव	1992 में दोनो पत्र	30.7.09	अनुतीर्ण	अत्यंत पि०वर्ग	
5	राजेन्द्र प्र० यादव	बोधयालय	26.5.1987	26.5.1987	2.6.1958	3030-75-3950-80-4590				पिछड़ा वर्ग	
6 महतो	अनुसेवक	26.5.1987	26.5.1987	21.5.1961	2550-55-2660 58-60-5200				अत्यंत पि०वर्ग दिनांक 22.10.2007 को रोस्टर	
7	रामदेव महतो	अनुसेवक	तदैव	तदैव	1.1.1953	तदैव				अनु० जाति को सेवाकाल में ही बिमारी के कारण मृत्यु हो गई है।	
8	भृगेन्द्र प्र० यादव	अनुसेवक			5.2.1964	तदैव				पिछड़ा वर्ग	

Annexure 4

146

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक: 2057
2 स्था.-4-02/05

दिनांक - 19.4.2005

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी उप विकास आयुक्त
(किशनगंज जिला को छोड़कर) ।

विषय:—नवसृजित प्रखंडों में तृतीय वर्ग के सृजित लिपिक-सह-टंकक के रिक्त पदों पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (प्रशासन) में पूर्व से नियुक्त कर्मियों एवं जन शिक्षा निदेशालय (मानव संसाधन विकास विभाग) के छँटनीग्रस्त कर्मियों को समायोजित करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के पत्रांक-896-दिनांक-09.03.05 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे कहना है कि उक्त पत्र द्वारा उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में जन शिक्षा निदेशालय (मानव संसाधन विकास विभाग) के छँटनीग्रस्त कर्मियों को समायोजित करने के लिये नवसृजित प्रखंडों के लिये सृजित तृतीय वर्ग के लिपिक सह टंकक के रिक्त पदों के संबंध में रोस्टर के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) में नियुक्त कर्मियों को समायोजित करने के पश्चात् रिक्त पदों की सूचना आवेदन भेजने का अनुरोध किया गया था किन्तु इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना अभी तक आपसे अप्राप्त है ।

जनशिक्षा निदेशालय (मानव संसाधन विकास विभाग) के छँटनीग्रस्त कर्मियों के समायोजित करने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है एवं इसकी त्वरित समीक्षा की जानेवाली है ।

अतः अनुरोध है कि लिपिक सह टंकक के रिक्त पदों की सूचना (रोस्टर अनुसार) 30.04.05 तक निश्चित रूप से इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय ताकि वस्तुस्थिति से मुख्य सचिव को अवगत कराया जा सके ।

कृपया इस उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

श्री मुखर्जी
कृपया संचिका में आज ही
प्रस्तुत करे ताकि स्थापना समिति

विश्वासभाजन
H0/- 19.04.05
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 03.05.2005 एवं दिनांक 20.05.2005

को आयोजित बैठक को महामहिम राज्यपाल द्वारा संबोधित करते हुए

राज्य में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों की धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उप विकास आयुक्तों को निदेश दिये गये कि सभी विकास कार्यक्रमों को पूरी सज्जता एवं निष्ठा से कार्यन्वयन करावें तथा निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में समय सीमा के अन्दर पूरा करावें।

महामहिम ने अपने संबोधन में खासकर इंदिरा आवास योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना (NFFWP), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, मध्याह्नभोजन, शिक्षा मित्रों के नियुक्ति की ओर विशेष रूप से बल दिया। इसी क्रम में यह भी निदेश दिये गये कि जिलों के पदाधिकारी इस बात के लिए सतर्क रहें कि आवंटित राशि समय पर खर्च हो जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर देय अगली किस्तों की विमुक्ति करा ली जाय।

मुख्य सचिव द्वारा भा विकास कार्यों की समीक्षा के क्रम में विकास कार्यक्रमों में गति लाने काथ ही इसके लिए जिलों में उपलब्ध राशि का शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर इस मद में देय किस्तों कि ससमय प्रस्ताव प्रेषित कर राशि की विमुक्ति का हर संभव प्रयास करें। समय-समय पर योजनाओं की जांच एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

विकास आयुक्त द्वारा विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के क्रम में यह निदेश दिये गये कि उप विकास आयुक्त प्रत्येक प्रखंड में स्कीम रजिटर जिसमें चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति अंकित रहे। अपने स्तर से समय-समय पर प्रखंड कार्यालयों एवं पंचायतों में सम्मेलन कर विकास कार्यक्रमों की जांच करें जिससे विकास कार्यों में प्रगति हो सके।

आयुक्त एवं सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिलों में चलाये जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी तथा निदेश दिये गये की जिन जिलों को पिछले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा सशर्त राशि की विमुक्ति की गयी है वे निर्धारित शर्तों का तत्काल अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिये गये कि भारत सरकार से राशि विमुक्ति से संबंधित प्रस्ताव की समीक्षा एवं जांच के लिए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली का एक टीम विभागीय मुख्यालय पटना उपलब्ध है जेनसे सम्पर्क कर प्रस्ताव की जांच सुनिश्चित करावें।

दिनांक द्वारा जिलों को प्रेषित लोक लेखा समिति, सी.ए.जी. एवं महालेखाकार के आपत्तियों से संबंधित लंबित कडिकाओं/प्रतिवेदनों तथा विधान मंडल से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करने तथा अनुपालन प्रतिवेदन समय सीमा के अन्दर विभागीय मुख्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया।

दिनांक-09.05.2005 की बैठक में उप विकास आयुक्तों को बताया गया कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना (NFFWP) पर एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक-14.05.2005 को होटल मौर्या लोक, पटना में आयोजित की जा रही है जिसमें संबंधित अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

जितने जिलों से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के भवन निर्माण/जिणोद्वार हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं तत्काल भारत सरकार द्वारा प्रति डी.आर.डी.ए. 50 लाख रुपये प्रति भवन के दर से 2004-05 में 9 लाख रुपये आवंटित किया गया है। शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) में नियुक्त कर्मचारियों का समायोजन जिला प्रशासन यथा नव सजित प्रखण्डों में करने के सम्बन्ध सभी उपस्थित उप विकास आयुक्तों ने बतलाया कि मई 2005 के अन्त तक समायोजन कर विभाग के सूचना भेज दी जाएगी। भूमि एवं जहानाबाद ने उनके जिला में समायोजन के पश्चात जो कर्मचारी शेष रह जाएंगे उनके लिए विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन की मांग की है। बांका जिला में समायोजन की कोई बात नहीं है।

डी.पी.ए.पी., आई.डब्ल्यू.डी.पी. एवं सामाजिक दानिकी

1. डी.पी.ए.पी. के प्रथम बैच में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन कराने के संबंध में उप विकास आयुक्तों को निदेश दिया गया।
2. डी.पी.ए.पी. के प्रथम बैच की बची राशि को भारत सरकार को प्रत्यार्पण करने तथा राशि क्यों खर्च नहीं की गयी इससे संबंधित प्रतिवेदन को भेजने हेतु निदेश दिया गया।
3. संबंधित उप विकास आयुक्त द्वारा आई.डब्ल्यू.डी.पी. कार्यक्रम का डी.पी.आर. बनाने, कार्य में बांछित प्रगति लाने के संबंध में दिशा निदेश दिया गया।
4. डी.पी.ए.पी. एवं आई.डब्ल्यू.डी.पी. कार्यक्रम के तहत कैमूर में मिट्टी कार्य में मशीन का व्यवहार किया जा रहा है। इस संबंध में उप विकास आयुक्त, कैमूर को बताया गया कि जल छाजन मार्ग दर्शिका के प्रावधानों के विरुद्ध है। यह श्रम सृजित कार्य है जिसे मजदूरों द्वारा ही सम्पन्न कराना है। मशीन का व्यवहार नहीं करना है।
5. जिन जिलों द्वारा डी.पी.आर. नहीं बनाया गया है, उन्हें डी.पी.आर. अविलम्ब तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया तथा कैमूर, गया, किशनगंज एवं वैशाली से प्राप्त अपूर्ण डी.पी.आर. को सुधार कर अनुजल छाजन का अलग-अलग डी.पी.आर. बनाने का निदेश दिया गया।
6. सामाजिक दानिकी से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भेजने हेतु सभी उप विकास आयुक्तों को निदेश दिया गया।

आंकेक्षण प्रतिवेदन

महालेखाकार बिहार, पटना से संबंधित आंकेक्षण प्रतिवेदन जिन-जिन जिलों में लम्बित है, कि छाया प्रति संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त को हाथों-हाथ प्राप्त कराया गया । साथ ही उन्हें निदेश दिया गया कि, अपने जिलों से संबंधित लम्बित आंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार, बिहार को प्राप्त कराना शीघ्र सुनिश्चित किया जाय । अनुपालन प्रतिवेदन की एक प्रति विभाग को भी प्राप्त कराया जाय । इसके बाद उन्हें पुनः स्मारित किया गया है ।

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक:- 3080

दिनांक:- 1.6.05

ग्रा.वि.3(बैठक)23/2005

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्णीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(पी.एन.नारायणन)

आयुक्त एवं सचिव

28/5/05

Annexure 6

सेवा में
प्रमोद प्रदाधिकारी,
मधेपुरा।

द्वारा
उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक.....फरवरी, 2008 ई०।

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं विभागीय निदेश के आलोक में जि०ग्रा०वि०अभि०, मधेपुरा के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समाहरणालय संवर्ग में समायोजन करने के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषयक क्रम मे कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विभागीय निदेशानुसार जि०ग्रा०वि०अभि०, मधेपुरा के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समाहरणालय संवर्ग में 5 वर्षों के अन्दर ही समायोजन किया जाना था। तत्पश्चात पद रिक्त रहने पर अन्य विभाग के छटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन होना है।

खेदजनक विषय है कि अवतक जि०ग्रा०वि०अभि०, मधेपुरा के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समायोजन नहीं किया गया है। लेकिन अन्य विभाग के छटनीग्रस्त कर्मचारी का समायोजन किया जा रहा है। जि०ग्रा०वि०अभि० के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का असामयिक निधन के पश्चात उनके आश्रितों को सरकारी सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। 22(बाईस) वर्षों का सेवा होने के बावजूद ए०सी०पी० का भी लाभ नहीं दिया गया है। जबकि डी०आर०डी०ए० के बाईलॉज के अनुसार सरकारी कर्मचारी की भाँति समय-समय पर मिलने वाली सुविधा सीधे नियुक्त कर्मचारी, जि०ग्रा०वि०अभि०, को भी देय है। साथ ही प्रबंध पर्सन की दृष्टि द्वारा भी प्रस्ताव पारित है।

इस प्रकार अभिकरण कार्यालय के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समायोजन न कर उनके भविष्य के साथ खेदवार किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए अभिकरण कार्यालय के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समाहरणालय संवर्ग में समायोजन कर सुयश का भागी बनें।

अन्यथा निवेश होकर माननीय उच्च न्यायालय के एवं विभागीय आदेश का अवमानना की संबंधित प्रदाधिकारी/कर्मचारी पर वाद दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

- 1. प्रमोद साहय, विहार, पटना।
- 2. उपर्युक्त उप सचिव, जि०वि०वि०, पटना।
- 3. उप आयुक्त, विहार, पटना।
- 4. उपर्युक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
- 5. माननीय मंत्री, जि०वि०वि०, एवं पचायती राज, विहार, पटना।

विश्वासभाजन,
सीधे नियुक्त कर्मचारीगण,
जि०ग्रा०वि०अभि०, मधेपुरा।

Date-8-2-2008

- 1- नन्द किशोर सिंह, लिपिक-राह-दंकर
- 2- उमेश कुमार, सि० अह ई०५५
- 3- राजेन्द्र प्रसाद, लि० अह ई०५५
- 4- राजेन्द्र प्रसाद, लि० अह ई०५५

सेवा में

जिला पदाधिकारी

मधेपुरा

द्वारा - उपविकास आयुक्त

मधेपुरा

विषय- माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं विभागीय निदेश के आलोक में जिला ग्रा0 वि0 अभि0 मधेपुरा के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समाहरणालय संवर्ग में समायोजित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपयुक्त विषयक क्रम में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विभागीय निदेशानुसार जि0ग्रा0 वि0 अभि0, मधेपुरा के सीधे कर्मचारियों का समाहरणालय संवर्ग में 5 वर्षों के अन्दर ही समायोजन किया जाना था । तत्पश्चात पद रिक्त रहने पर अन्य विभाग के छटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन होना है ।

खेदजनक विषय है कि अबतक जि0ग्रा0वि0 अभि0 मधेपुरा के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समायोजन नहीं किया गया है लेकिन अन्य विभाग के छटनीग्रस्त कर्मचारी का समायोजन किया जा रहा है । जि0ग्रा0पि0 अभि0 के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का असामयिक निधन के पश्चात उनके आश्रितों को सरकारी सुविधा से वंचित रखा जा रहा है । 22 (बाईस) वर्षों का सेवा होने के बावजूद ए0सी0पी0 का भी लाभ नहीं दिया गया है जबकि डी0आर0डी0ए0 के बाईलॉज के अनुसार सरकारी कर्मचारी की भांति समय-समय पर मिलने वाली सुविधा सीधे नियुक्त कर्मचारी जि0 ग्रा0 वि0 अभि0 को भी देय है साथ ही बंध पर्षद की बैठक द्वारा भी प्रस्ताव पारित है ।

इस प्रकार अभिकरण कार्यालय के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समायोजन न कर उनके भविष्य साथ खेलवार किया जा रहा है

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए अभिकरण कार्यालय के सीधे रिक्त कर्मचारियों का समाहरणालय संवर्ग में समायोजन कर सुयया के भागी बने ।

अन्यथा विवश होकर माननीय उच्च न्यायालय के एवं विभागीय आदेश का अवमानना की संबंधित पदाधिकारी / कर्मचारी पर वाद दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

प्रतिलिपि

1. प्रधान सचिव बिहार, पटना
2. आयुक्त एवं सचिव, ग्रा0वि0वि0, पटना
3. लोकायुक्त बिहार, पटना
4. आयुक्त कोशी प्रमण्डल सहरसा
5. माननीय मंत्री ग्रा0वि0वि0 एवं पंचायती राज, बिहार, पटना।

विश्वासभाजन

सीधे नियुक्त कर्मचारीगण

जि0ग्रा0वि0 अभि0 मधेपुरा

14-2-2008

एनैक्वर -8

गोपनीय

पत्रांक 5/ लोक(ग्रा0वि0पि0) 10/08 - 2622 दिनांक 7.3.08

प्रेषक-

रवीन्द्र नाथ पाठक

लोकायुक्त के उपसचिव

सेवा में,

श्री नन्द किशोर सिंह

लिपिक सह टंकक

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा

विषय- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा में सीधे नियुक्त कर्मचारियों को समाहरणालय संवर्ग में समयोजन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके परिवाद पत्र (दिनांक 12.2.2008 को प्राप्त) के आलोक में सूचित करना है कि प्रश्नगत मामले में अन्वेषण की कारवाई आरम्भ कर दी गई है। इसके फलाफल से आपको यथासमय अवगत करा दिया जायेगा कृपया भविष्य में पत्राचार करते समय अपने संचिका सं0-5/लोक (ग्रा0वि0पि0) 10/08 का उल्लेख अवश्य करेंगे ।

बु0

विश्वासभाजन

ह0/- अस्पष्ट

दिनांक 4.3.08

लोकायुक्त के उपसचिव

एनैक्चर -8 / 1

गोपनीय

पत्रांक 5/ लोक(ग्रा0वि0पि0) 10/08 - ⁶⁴⁸⁵6585 दिनांक 20.6.08

प्रेषक-

जे0पी0 सिन्हा

लोकायुक्त के उपसचिव

सेवा में,

श्री नन्द किशोर सिंह

लिपिक सह टंकक

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा

विषय- सीधे नियुक्त कर्मियों की प्रोन्नति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके परिवाद पत्र दिनांक 22.5.2008 के प्रसंग में सूचित करना है कि प्रश्नगत मामले में अन्वेषण की कारवाई आरम्भ कर दी गई है। इसके फलाफल से आपको यथासमय अवगत करा दिया जायेगा कृपया भविष्य में पत्राचार करते समय अपने संचिका सं0- 5/लोक (ग्रा0वि0पि0) 10/08 का उल्लेख अवश्य करेंगे ।

बु0

विश्वासभाजन

ह0/- अस्पष्ट

दिनांक 18.06.08

लोकायुक्त के उपसचिवप

एनैक्चर -9

सेवा में,

उप विकास आयुक्त सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा ।

विषय-डी0आर0डी0ए0 मधेपुरा कार्यालय के सीधे नियुक्त कर्मियों को प्रोन्नति से संबंधित लीगा देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक क्रम में घ्यानाकृष्ट करना है कि डी0आर0डी0ए0 मधेपुरा के सीधे नियुक्त कर्मियों को अबतक प्रोन्नति से संबंधित लाभ नहीं मिला है जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय - समय पर दी जानेवाली सभी सुविधा की नियुक्त कर्मियों को भी उक्त सुविधा दी जा रही है जैसे मूल वेतन मंहगाई / जीवन यापन भत्ता / चिकित्सा भत्ता / वर्दी धुलाई भत्ता / आकस्मिक अवकाश / अर्जित अवकाश एवं वार्षिक वेतन वृद्धि आदि

अन्य संवर्ग के कर्मियों की भविष्य निधि एवं ग्रुप बीमा कटौती की जाती है और इसके बदले नियुक्त अभिकरण कर्मी का सी0पी0एफ0 की कटौती की जाती है।

दुर्भाग्य पूर्ण विषय है कि अभिकरण के सीधे नियुक्त कर्मियों की सेवा अवधि 12 वर्षों को पाकर कर 22 वर्षों की हो चली है फिर भी प्रोन्नति का लाभ से अवरुद्ध रखा गया है अबतक प्रथम वित्तीय उन्नयन (ए0सी0पी0) का भी लाभ नहीं मिल सका है। जबकि प्रबंध प्रर्षक की बैठक से प्रस्ताव पारित कर इसकी स्वीकृति मिल चुकी है।

वही इसी प्रकार की संस्था जिला परिषद के कर्मियों की ए0सी0पी0 का लाभ मुहैया कराया जा चुका है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि डी0आर0डी0ए0 के सीधे नियुक्त कर्मियों को अभिकरण के सेवाकाल में देय प्रोन्नति से संबंधित लाभ का भुगतान कराने की कृपा कीजिए ताकि भविष्य में कठिनाईयों का सामना करना पड़े

इसके लिए सीधे नियुक्त कर्मचारी आपका सदा आभारी रहेगा ।

विश्वासभाजन

डी0आर0डी0ए0 मधेपुरा
के सीधे नियुक्त कर्मचारीगण

प्रतिलिपि

1. 1. जिला पदाधिकारी मधेपुरा
2. आयुक्त कोशी प्रमण्डल सहरसा
3. प्रधान सचिव ग्रा0वि0 वि0 बिहार , पटना
4. लोकायुक्त के उपसचिव लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार , पटना
दिनांक 22.5.2008

Annexure/1

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुराउप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जि०प्रा०वि०अभि०, मधेपुरा।

विषय:-

वर्ष 1986 में समाहरणालय मधेपुरा द्वारा तैयार किये गये पैनल से ही अभिकरण कार्यालय के सीधे नियुक्त कर्मचारी का नियुक्ति होने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक क्रम में ध्यानाकृष्ट करना है कि वर्ष 1986 में समाहरणालय, मधेपुरा द्वारा तैयार किये गये पैनल से ही वर्ग-3 (तृतीय वर्ग) के कर्मचारियों की अभिकरण कार्यालय, मधेपुरा में सीधे नियुक्ति कर दी गई है। जबकि समाहरणालय, मधेपुरा में नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया था।

तत्कालीन जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के समक्ष इस कार्रवाई को वापस लेने हेतु आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया था। उनके द्वारा विश्वास दिलाया गया था कि बाद में समाहरणालय में लौटा दिया जाएगा।

वदलती परिस्थिति एवं सरकार की दोहरी नीति के विरुद्ध मांगनीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश एवं विभागीय निर्देश कि सीधे नियुक्त कर्मचारी का समायोजन समाहरणालय संवर्ग में कर प्रतिवेदित करें का अनुपालन अबतक नहीं हो सका।

ऐसे कर्मी जिनकी नियुक्ति समाहरणालय, मधेपुरा द्वारा तैयार किये गये पैनल से पूर्व में वाह्य सेवा (डी०आर०डी०ए०) में की गई है, को माननीय न्यायालय का आदेश एवं विभागीय निर्देश के आलोक में समाहरणालय संवर्ग में समायोजन करने में क्या कठिनाई हो रही है ? जबकि पत्राचार विभागीय स्तर पर होते रहें हैं, परंतु सभी राज्य स्तरीय आदेश/निर्देश का अनुपालन नहीं करना तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करना घोर चिन्ता का विषय है। जिस कारण हम सभी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अभिकरण कार्यालय के अवधि में कर्मचारियों को देय प्रोन्नति एवं अन्य लाभ से लाभान्वित करते हुए समाहरणालय संवर्ग में सीधे नियुक्त कर्मी का समायोजन कर सुयश का भागी बने, ताकि माननीय न्यायालय एवं विभागीय निर्देश का पालन हो सके।

इसके लिए हम सीधे नियुक्त कर्मी आपका आजीवन आभारी बने रहेंगे।

प्रतिलिपि: आयुक्त कोशों प्रमंडल सहरसा
प्रधान सचिव, प्रा०वि०वि०, पटना
माननीय लोकअयुक्त, कार्यालय बिहार पटना

विश्वासभाजन

1. गन्ध किशोर, सिंहा, सिद्धिकान्त-उत्क
2. राजेश्वर पांडेय, सिंहा, सिद्धिकान्त-उत्क
3. उमेश कुमार, सिंहा, सिद्धिकान्त-उत्क
4. नरेश्वर प्रसाद वर्मा, आयुक्त कार्यालय

दि-1/8/2008

अभिकरण के सीधे नियुक्त कर्मी
जि०प्रा०वि०अभि०, मधेपुरा।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जि०ग्रा०वि०अभि०, मधेपुरा।

विषय - जि०ग्रा०वि०अभि०, के सीधे नियुक्त कर्मचारियों/पदाधिकारियों को प्रोन्नति देने के संबंध में।

प्रासंगिक - सरकार के अवर सचिव, ग्रा०वि०वि०, बिहार पटना के पत्रांक- 9877, दिनांक- 24.09.1997।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कर संलग्न करते हुए कहना है कि जि०ग्रा०वि०अभि० के सीधे नियुक्त कर्म०/पदा० को प्रोन्नति देय है को संपुष्ट किया जाता है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अभिकरण कार्यालय, मधेपुरा के सीधे नियुक्त कर्म०/पदा० को देय प्रोन्नति से लाभान्वित करने की कृपा की जाय।

इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(नन्दकिशोर सिंह,
लिपिक-सह-टंकक,
जि०ग्रा०वि०अभि०,
मधेपुरा।

8/8/2008

Annexure 10
47
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा

पत्रांक- 2518 / जि०ग्रा०वि०अभि०

प्रेषक

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा।

जिला स्थापना उप-समाहर्ता,
मधेपुरा

मधेपुरा, दिनांक 3.11.2008 ई०।

विषय -

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा में सीधे नियुक्त कर्मियों को समाहरणालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध समायोजन करने के संबंध में।

प्रासंगिक

ग्रा०ग्रा०वि० विहार पटना के पत्रांक-7139, दिनांक-29.08.03, 896, दिनांक-09.03.2005 एवं 2057, दिनांक-19.04.2005।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा सीधे नियुक्त कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक -131/सपत्र दिनांक-24.08.2005, 277/सपत्र, दिनांक-07.05.2008 एवं 392, दिनांक-22.02.2006 के द्वारा पत्राचार किया गया था लेकिन आपके स्तर से समायोजन के संबंध में कोई आपेक्षित कारवाई नहीं की जा सकी है।

ज्ञातव्य है कि विषयकित मामला सी०डब्ल्यू०जे०सी०-6543/99 एवं एम०जे०सी० नम्बर 294/7000 से संबंधित है। जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ग्रामीण विकास विभाग विहार पटना ने प्रेषित विभिन्न पत्रों के द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिया था।

कर्मचारियों का समायोजन समाहरणालय सर्वग/क्षेत्रीय कार्यालयों के स्वीकृत रिक्त पद पर किया जाना है।

अनुसंध है कि अभिकरण कार्यालय में सीधे नियुक्त कर्मचारियों के समायोजन को जिला स्थापना समिति की विशेष बैठक निर्धारित की जाये, ताकि शीघ्रता-शीघ्र अभिकरण कार्यालय में सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समायोजन समाहरणालय में कर माननीय उच्च न्यायालय एवं विभागीय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

इस अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जि०ग्रा०वि०अभि०, मधेपुरा।

पत्रांक 2618/ जि०ग्रा०वि०अभि० मधेपुरा, दिनांक- 3.11.2008 ई०।

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जि०ग्रा०वि०अभि०, मधेपुरा।

3.11.08

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

विषय - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समाहरणालय संवर्ग में समायोजन एवं प्रोन्नति का संबंध में।

प्रसंग - C.W.J.C सं०-6543/99, एवं तदजनहित M.J.C सं०-294/2000 दीपक कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिए गये निर्देश एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समाहरणालय संवर्ग में समायोजन 3 से 5 वर्षों के अन्दर कर प्रोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया गया था।

साथ ही विभागीय निर्देश प्राप्त हुआ कि सर्वप्रथम अभिकरण कार्यालय के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समायोजन करने के पश्चात पद रिक्त रहने पर जनशिक्षा निदेशालय के छटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन किया जाय। लेकिन समाहरणालय द्वारा दौहरी नीति अपना कर अभिकरण सीधे नियुक्त कर्मचारी के बदले पहले जनशिक्षा निदेशालय के छटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन कर लिया गया है। जिसे पक्षपात की संज्ञा दी जा सकती है। समायोजन एवं प्रोन्नति नहीं होने के कारण सीधे नियुक्त कर्मियों को कम वेतन भुगतान हो रहा है। इसके कारण मानसिक एवं आर्थिक क्षति हो रही है।

इसबीच सीधे नियुक्त कर्मियों के आसामाशिक निधन पश्चात अश्रितों को सरकारी लाभ से वंचित रखा जाता है। समायोजन संबंधी सभी विभागीय आदेश की छाया प्रति पूर्व में ही जिला स्थापना शाखा, समाहरणालय मधेपुरा को हस्तगत कराया जा चुका है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि कृपया अपने स्तर से अभिकरण मुख्यालय के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समायोजन समाहरणालय संवर्ग में करने का आदेश प्रदान करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

जिला ग्रामीण विकास
अभिकरण, मधेपुरा।

30/1/2012

जयराम रमेश

ग्रामीण विकास मंत्रा
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 114

अ.शा.पत्र सं आर-20015/47/ 2006-डीआरडीए-भाग 1

दिनांक 2 फरवरी, 2012

प्र0सचिव ग्रामीण विकास
प्रिय नीतिशजी -

मुख्य सचिव का
गोपनीय कोपांग

जैसा कि आपको विदित है कि डीआरडीए प्रशासन योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो अप्रैल, 1999 को शुरू की गई थी और जिसका वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्यों के बीच 75:25, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10 के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में शत प्रतिशत आधार पर किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों जिला स्तर पर गरीबी उपशमन के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस संबंध में, मैं स्टाफ के हितों की रक्षा करने और लाइन विभागों में उन्हें समावेशित करने के लिए डीआरडीए प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित उपाय करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस संबंध में, डीआरडीए प्रशासन के दिशा-निर्देश के पैरा 4.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह बताया गया है कि "स्टाफ जो अभी डीआरडीए से संबंधित है, के संबंध में राज्य ग्रामीण विकास विभाग को स्टाफ को लाइन विभागों में समावेशित करने के लिए 3-5 वर्षीय योजना तत्काल बनाना चाहिए।"

2. आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जब तक डीआरडीए प्रशासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जाता है तथा डीआरडीए स्टाफ को पर्याप्त सेवा शर्तें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी अपने कर्तव्यों का कुशलता से निर्वहन नहीं कर पाएगी।

3. इस मंत्रालय को कई बार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें डीआरडीए के कर्मचारियों की खराब कार्य दशाओं की शिकायतें की गई हैं। इन शिकायतों में संबंधित विभागों में आवेदन न किया जाना, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कर्मचारियों की भ्रष्टि पेशन/सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ न दिया जाना और अन्य सेवा शर्तों के लाभ न दिया जाना, पदोन्नति के अवसरों का अभाव शामिल हैं। इस मंत्रालय ने राज्यों को बार-बार पत्र लिखकर कहा है कि वे डीआरडीए के कर्मचारियों की सही शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करें। तथापि, डीआरडीए के कर्मचारियों की शिकायतें अभी भी कायम हैं।

4. अखिल भारतीय डीआरडीए स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के तहत आंदोलन कर रहे डीआरडीए के कर्मचारियों ने जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर 19 दिसम्बर, 2011 को एक दिन का सामूहिक धरना करने का नोटिस दिया था। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही अपनी शिकायतों को दूर कर विरोध प्रदर्शन करने के लिए 27 फरवरी से 3 मार्च, 2012 तक जिला

(2)

स्तर पर हड़ताल करने और संसद मार्ग, नई दिल्ली में संसद भवन के सामने 5 मार्च, 2012 से भूख हड़ताल पर बैठने का नोटिस भी दिया है। इस एसोसिएशन ने अपने अभ्यावेदन में कहा है कि इनमें से कई कर्मचारी अब भी अस्थायी हैं और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में 25-30 वर्षों की नियमित सेवा करने के बाद भी उन्हें न तो पदोन्नति के कोई अवसर मिले हैं और न ही पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि जैसे अन्य सेवा लाभ मिले हैं।

5. उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कृपया अपने स्तर पर इस विषय की जांच करके ग्रीआरडीए कर्मचारियों की सही शिकायतों को दूर करने के लिए नीतिगत निर्णय लें। इस विषय में लिए जाने वाले निर्णय की जानकारी यथाशीघ्र इस मंत्रालय को भी भिजवा दें।

सादर,

आपका,

ह0/- अस्पष्ट
(जयराम रमेश)

श्री नीतीश कुमार,
मुख्य मंत्री,
बिहार।

अवकाश

लोकसचिव के उच्च सचिव,
बिहार, पटना ।

विषय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा के सीधे नियुक्त कर्मचारियों की समाहरणालय संवर्ग में सेवा
समायोजन करने के संबंध में।
प्रसंग:- मधेपुरा के पत्र संख्या-5/लोक(ग्रा0वि0)48/08-2609/लोक, दिनांक-21.05.2012।

आदेश,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं विभागीय निदेश की
छाया प्रति संलग्न करते हुए निम्नलिखित विन्दुओं की ओर ध्यानाकृष्ट किया जाता है।

1. सरकार के सचिव, ग्रा0वि0वि0, बिहार पटना के ज्ञापांक-7139 दिनांक-29.08.2003 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष्य में अभिकरण कार्यालय के सीधे नियुक्त कर्मचारियों का अगले 3 (तीन) से 5 (पाँच) वर्षों के अन्दर विभिन्न विभागों में समायोजित किया जाना था, क्योंकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए अलग से सेवा शर्त नियमावली नहीं बनाया जा सका। समायोजन का सवाल इसलिए पैदा हुआ ताकि सीधे नियुक्त पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के भाँति सभी सुविधा मिल सकें। हालांकि यह कि सीधे नियुक्त कर्मचारियों के आकषिमत विधन पश्चात आश्रितों को मिलने वाली सुविधा से सीधे रखा जा रहा है। जो उचित नहीं है।
2. आयुक्त एवं सचिव, ग्रा0वि0वि0, बिहार पटना के पत्रांक-896 दिनांक-09.03.2005 एवं सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रा0वि0वि0 बिहार पटना के पत्रांक-2097 दिनांक-19.04.2005 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नवसृजित प्रखण्डों के लिए सृजित तृतीय वर्ग के लिपिक-सह-टंकक के रिक्त पदों के विरुद्ध सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समायोजन कर विभाग को प्रतिवेदित किया जाना था, ताकि शेष पद रिक्त रहने पर जन शिक्षा निदेशालय के छटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन किया जा सकें लेकिन जिला स्थापना समाहरणालय, मधेपुरा द्वारा निदेश का अवहेलना कर पहले जन शिक्षा निदेशालय के छटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन कर लिया गया।
3. आयुक्त एवं सचिव, ग्रा0वि0वि0, बिहार पटना के ज्ञापांक-3080 दिनांक-01.06.2005 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्यस्तरीय बैठक में उप विकास आयुक्तों द्वारा अश्वासन दिया गया था कि मई, 2005 तक समायोजन कर विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जायगा।
4. सरकार के उप सचिव, ग्रा0वि0वि0, बिहार पटना के ज्ञापांक-9522 दिनांक-15.12.2005 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्यस्तरीय बैठक में उप विकास आयुक्तों को सुझाव दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय निदेशों के कार्यान्वयन काम में सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समाहरणालय, में समायोजन के प्रसंग में विचार किया जाना चाहिए।
5. सरकार के उप सचिव, ग्रा0वि0वि0, बिहार पटना के पत्रांक-9877 दिनांक-24.09.1997 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिकरण कार्यालय के पदा0/कर्म0 को कालवद्ध प्रोन्नति दिया जाना था लेकिन सीधे नियुक्त कर्मचारियों को अब तक कोई भी प्रोन्नति नहीं दी गयी है। जिसके कारण कम वेतन भुगतान हो रहा है। जिसका प्रतिकूल असर जीवनयापन पर पड़ रहा है।
6. मधेपुरा जिले के सीधे नियुक्त कर्मचारी ऐसे कर्म हैं जिसका नियुक्ति समाहरणालय मेघा सूची से की गयी है।
7. जिला स्थापना उप समाहर्ता समाहरणालय मधेपुरा के पत्रांक-632-2 दिनांक-27.12.2011 एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-2सपत्र/दिनांक-02.01.2012 के संबंध में कल्पना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्पत्ति सामान्य प्रशासन विभाग) से आदेश/अनुदेश/दिशा-निर्देश प्राप्त करना विभाग एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा का दायित्व होता है। इस प्रकार उक्त भेजे गये पत्र से स्पष्ट है कि टाल-मटोल की नीति अपना कर लोकसचिव महोदय को गुमराह करना है।

अतः उपरोक्त दर्शाए गये विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सीधे नियुक्त कर्मचारियों का समाहरणालय संवर्ग में तुरंत समायोजन करने की अपने स्तर से संबंधित को आदेश देने की कृपा की जाय। ताकि सीधे नियुक्त कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के भाँति सभी सुविधा मिल सके।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन
लिपिक-सह-टंकक,
दिनांक-21/5/2012

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषय— बिहार प्रसाद पदाधिकाररी (उद्भोग एवं वाणिज्य) संवर्ग नियमावली 2008 तथा महिला प्रसाद पदाधिकाररी संवर्ग नियमावली 2008 के नियम 6 (क) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा में उर्तीर्णता की अनिवार्यता संबंधी शर्त के शिथिलकरण के संबंध में ।

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादो यथा सी०डब्लू०जे०सी० सं०— 6467 6263/2007 एम०जे०सी० 2635/2008 के निर्णयों में प्रसार पदाधिकारियों को सरकारी सेवको को अनुमान्य सुविधाये प्रदान करने के लिए जारी निर्देशो के अनुपालन में ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रणाधीन प्रसार पदाधिकाररी (उद्भोग एवं वाणिज्य) तथा महिला प्रसार पदाधिकाररी को नियमन की तिथि में सरकारी सेवक घोषित करते हुए दोनो संवर्गो की नियमावली का गइन किया गया तथा इनकी सेवा संपुष्टि करके देय लाभ प्रदान करने की दिशा में कारवाइ की गई है ।

2. उक्त संवर्गो के पदाधिकारियों की संवर्गीय नियमावली के नियम 6(क) में इनकी सेवा संपुष्टि हेतु विभागीय परीक्षा में उर्तीर्णता की शर्त को अनिवार्य किया गया है। इन संवर्गो के लिए विभागीय परीखा का कभी आयोजन नहीं हुआ है तथा राजस्व पर्वद द्वारा इनकी परीक्षरा आयोजन में असमर्थता व्यक्त की गई है। फलतः न्यायादेश के अनुरूप देय सुविध्याओ के कार्यान्वयन में बाधा हो रही है जिसके निराकरण हेतु उक्त विभागीय परीक्षा में उर्तीर्णता की शर्त को शिथिलकरण विचाराधीन था

3. सम्यक विचारोपरान्त ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वर्तमान समय तक नियुक्त सभी प्रसार पदाधिकाररी (उ० एवं वा०) तथा महिला प्रसाद पदाधिकाररी के संदर्भ संवर्गीय नियमावली 2008 के नियम 6(क) में विहित विभागीय परीक्षा की उर्तीर्णता संबंधी प्रावधान को नियुक्ति विभाग के परिपत्र सं०— 11505 दिनांक 28.11.1956, 14813 दिनांक 20.11.1940 तथा 10270 दिनांक 25.7.1962 के आलोक में शिथिल किया जाता है।

4. इसमें मंत्रिपरिषद् की सवीकृति प्राप्त है।

आदेश आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/— 27.6.14

ज्ञापांक ग्रा०वि०—3(6) प्रसार पदा० 0211/2010 190282

पटना दिनांक 1.7.2014

प्रतिलिपि ई गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार पटना को सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । कृपया इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाए ।

सचिव 27.6.14